फर्द अहकाम

न्यायालय : सहायक कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान)

सरकार बनाम सत्यनारायण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 83 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

र्थना पत्र संख्याः—39/2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
02.11.2022	पत्रावली पेश हुई। अवलोकन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 83 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने दिनांक सक्षम स्वीकृति के पंचायत समिति कोटपूतली के ख.नं.1083 बूचाहेड़ा में खड़े पेड़ बरगद व गूलर को काटकर धारा 83 का उल्लंघन किया है। नोटीस जारी किए गए। अप्रार्थी ने उपस्थिति आकर कथन किया कि दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 तक पंचायत समिति की भूमि ख.नं. 1083 में खेतीबाड़ी करने का ठेका लिया है। इसके अलावा समस्त आरोप बेबुनियाद है। पत्रावली के संलग्न फर्द मौका और फर्द जब्ती का अवलोकन किया गया। पंचायत समिति ने अपने पत्र क्रमांक प.स. को/लेखा/250 दिनांक 11.07.2022 के अतिचारी का विवरण प्रस्तुत किया है। अतः समस्त तथ्यों के अनुसरण मे तहसीलदार, कोटपूतली को आदेश दिया जाता है कि अतिचारी से प्रति पेड़ 100 रु का जुर्माना वसूल किया जावे एवं प्रतिवादी अतिचारी से समान श्रेणी के एक पेड़ के बदले पांच पेड़ लगवायें। जो पेड़/लकड़ियां तहसीलदार द्वारा जब्त की जा चुकी हैं का खुल्ली नीलामी बोली लगवाकर नियमानुसार निस्तारण करें। पत्रावली फैसल से शुमार हो, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)